



2026:AHC:49566

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - बी सं. - 699 वर्ष 2026

अक्रबाल

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 5

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : कैलाश नाथ सिंह

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. प्रस्तुत रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है:-

“(i) प्रतिवादी संख्या-2/बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जनपद जौनपुर को यह निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे अपील संख्या 202454143600004609 (दुर्गा प्रसाद बनाम सरकार एवं अन्य) तथा अपील संख्या 202454143600004610 (अतुल कुमार एवं अन्य बनाम दुर्गा प्रसाद एवं अन्य), जो धारा 11(1), उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर, परगना जफराबाद, तहसील सदर, जनपद जौनपुर से संबंधित है, में गुण-दोष पर निर्णय करने से पूर्व सर्वप्रथम सीमितीकरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत विलम्ब क्षमा आवेदन/सीमा-प्रश्न तथा अपील की ग्राह्यता का निर्णय करें।

“(ii) प्रतिवादी संख्या-2/बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जनपद जौनपुर को यह निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.03.2025 को प्रस्तुत आवेदन/प्रारम्भिक आपति का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर करें।”

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वाद के गुण-दोष पर निर्णय करने से पूर्व विलम्ब क्षमा प्रार्थना-पत्र का निर्णय किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय **राम प्रकाश बनाम उप संचालक चकबन्दी, हरदोई एवं अन्य**, जो 2022 (155) आरडी 309 में प्रतिवेदित है, पर निर्भरता व्यक्त की है। सुविधा की दृष्टि से उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 19, 20 एवं 21 निम्नवत उद्धृत किए जाते हैं:-

“19. हम इस प्रश्न में नहीं जा रहे हैं कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा के आवेदन पर पारित आदेश अंतरिम आदेश है अथवा अंतिम, क्योंकि यह प्रश्न खण्डपीठ के समक्ष विचारार्थ संदर्भित नहीं किया गया है। विलम्ब क्षमा आवेदन के साथ दाखिल अपील में विभिन्न परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। प्रथम, विलम्ब क्षमा का आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अपील भी असफल हो जाएगी। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि विलम्ब क्षमा का आवेदन स्वीकृत कर लिया जाए और उसके पश्चात अपील को स्वीकार या निरस्त किया जा सकता है।

20. यदि किसी विधि द्वारा अपील दाखिल करने के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की गई है, तो उस अवधि से परे दाखिल अपील निश्चित रूप से ग्राह्य नहीं होगी। यदि 1963 के अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और पक्षकार को अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब की क्षमा याचना का अधिकार है, तो उसे विलम्ब क्षमा हेतु एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विलम्ब के कारणों का उल्लेख किया जाएगा। केवल उस आवेदन के स्वीकृत होने के पश्चात ही अपील को ग्रहण कर उसके गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है। उससे पूर्व अपील को गुण-दोष के आधार पर विचारार्थ नहीं लिया जा सकता।

21. जहाँ तक विलम्ब क्षमा के आवेदन तथा अपील की एक साथ सुनवाई का प्रश्न है, हमारे मत में सर्वप्रथम विलम्ब क्षमा के आवेदन पर विचार किया जाना आवश्यक है। उसके पश्चात ही अपील के गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है। तथापि विधि में ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है कि विलम्ब क्षमा आवेदन के स्वीकृत होने के पश्चात अपील की सुनवाई अनिवार्य रूप से स्थगित की जाए। दोनों की सुनवाई एक ही दिन की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जा सकती हैं, परन्तु अपील के गुण-दोष पर विचार तभी किया जाएगा जब विलम्ब क्षमा का आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो।”

3. उपर्युक्त परिस्थितियों में इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः वाद के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, यह रिट याचिका अंतिम रूप से इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (प्रतिवादी संख्या-2) माननीय खण्डपीठ द्वारा राम प्रकाश (सुप्रा) प्रकरण में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के आलोक में अपील का निर्णय यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर करें।

4. उपर्युक्त टिप्पणी/निर्देशों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

11 मार्च, 2026

वीआर

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।